राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी
(SSAAT)
कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 01-2227033

Azadi Ka Amrit Mahotsav

शासी निकाय (Governing Body) की तृतीय बैठक का कार्यवाही विवरण

मुख्य सचिव एवं अध्यक्षा, शासी निकाय (Governing Body) सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की अध्यक्षता में दिनांक 04.11.2022 को शासी निकाय की तृतीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न पदाधिकारीगण उपस्थित हुए :–

1.	श्री अभय कुमार, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पं. राज विभाग	पदेन उपाध्यक्ष
2.	श्री के. सुब्रमण्यम, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान	सदस्य
3.	श्रीमती मंजू राजपाल, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य सचिव
4.	श्री भानु प्रकाश एटरू, शासन सचिव, गृह विभाग	सदस्य
5.	श्री रोहित गुप्ता, शासन सचिव, वित्त (बजट)	सदस्य
6.	श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार, आयुक्त, नरेगा	सदस्य
7.	श्री संदीप चौहान, निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)	सदस्य
8.	श्री लखपत मीणा अति. निदेशक (पेंशन), प्रतिनिधि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय	सदस्य

बैठक के प्रारंभ में श्रीमती मंजू राजपाल, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, पदेन सदस्य सचिव, शासी निकाय द्वारा सोसायटी के गठन, उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र आदि बाबत विधिक प्रावधान एवं नरेगा एक्ट के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा निर्देशो के तहत सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने के प्रावधानों से अवगत करवाया। तत्पश्चात् बैठक में विचारणीय बिन्दुओं पर गहन विचार विमर्श कर सोसायटी के विभिन्न कार्यो एवं आदेशों का अनुमोदन निम्नानुसार किया गया :–

विचारणीय बिन्दु संख्या 3.1

शासी निकाय की द्वितीय बैठक दिनांक 29.12.2020 की कार्यवाही विवरण की पुष्टि

शासी निकाय की द्वितीय बैठक दिनांक 29.12.2020 की कार्यवाही विवरण के अवलोकन एवं विचार विमर्श उपरांत शासी निकाय द्वारा इसकी पुष्टि की गई।

विचारणीय बिन्दु संख्या 3.2

शासी निकाय की द्वितीय बैठक दिनांक 29.12.2020 के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन

सदस्य सचिव द्वारा द्वितीय बैठक में लिये गये सभी निर्णयों की अनुपालना का अवलोकन करवाया गया एवं की गई कार्यवाही बाबत विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गयी। शासी निकाय द्वारा निर्णयों की कियान्विति पर संतोष व्यक्त करते हुये अनुमोदन किया गया। शासी निकाय द्वारा निकाय की बैठके निर्धारित समयावधि में करवाने और आवश्यक संसाधन व्यक्तियों के समयबद्व चयन हेतु निर्देशित किया गया।

विचारणीय बिन्दु संख्या 3.3

संसाधन व्यक्तियों की चयन संबंधी पात्रता के लिये जारी आदेश संख्या 10/2020 दिनांक 27.11.2020 के संशोधन का कार्योत्तर अनुमोदन

सोसायटी द्वारा संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी पात्रता के लिये कार्यकारी समिति (EC) की दिनांक 31.07.2020 की बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रम में जारी किये गये आदेश संख्या 10/2020 दिनांक 27.11.2020 पर विस्तृत विचार विमर्श उपरांत शासी निकाय द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

विचारणीय बिन्दु संख्या 3.4

ग्राम संसाधन व्यक्तियों के रूप में स्वंय सहायता समूहों, साथिनों, नेहरू युवा केन्द्र के सदस्यों जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10 वीं कक्षा उतीर्ण हो का नियोजन किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रयोजनार्थ सृजित विनियम सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम–2020 (द्वितीय संशोधन), आदेश संख्या–75/2022 दिनांक 02.02.2022 का कार्योत्तर अनुमोदन।

सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम, 2020 में ग्राम संसाधन व्यक्तियों के रूप में स्वंय सहायता समूहों, साथिनों, नेहरू युवा केन्द्र के सदस्यों जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो का नियोजन किये जाने हेतु जारी संशोधित आदेश ''सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम–2020 (द्वितीय संशोधित) आदेश संख्या–75/2022, दिनांक 02.02.2022'' का विचार विमर्श उपरांत शासी निकाय द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

विचारणीय बिन्दु संख्या 3.5

सोसायटी द्वारा सम्पादित नियमित सामाजिक अंकेक्षण की प्रगति का अवलोकन

सोसायटी द्वारा सम्पादित नियमित सामाजिक अंकेक्षण की प्रगति का अवलोकन किया गया एवं निर्धारित कलैण्डर अनुसार सभी ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण कार्य निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार पूर्ण किये जाने हेतु शासी निकाय द्वारा निर्देशित किया गया।

विचारणीय बिन्दु संख्या 3.6

सोसायटी का वर्ष 2021–22 के स्वीकृत बजट पर किये गये व्यय का अनुमोदन।

सोसायटी का वर्ष 2021–22 के स्वीकृत बजट पर किये गये व्यय राशि रूपये 558.38 लाख का विचार विमर्श उपरांत शासी निकाय द्वारा अनुमोदन किया गया।

विचारणीय बिन्दु संख्या 3.7

सोसायटी के वर्ष 2021–22 के लेखों (unaudited) का अनुमोदन

सोसायटी के वर्ष 2021–22 के लेखों (unaudited) का विचार विमर्श उपरांत शासी निकाय द्वारा अनुमोदन किया गया एवं शीघ्र ही महालेखाकार से एम्पेनल्ड चार्टेड अकाउन्टेंट से अंकेक्षण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

विचारणीय बिन्दु संख्या 3.8

सनदी लेखाकार (सीए) द्वारा वर्ष 2022–23 के लेखों के संधारण हेतु दिये गये कार्यादेश का अनुमोदन

सनदी लेखाकार (सीए) द्वारा वर्ष 2022–23 के लेखों के संधारण हेतु सी.ए. फर्म मैसर्स ए.बी.एच.एण्ड कम्पनी जयपुर को दिये गये कार्यादेश दिनांक 15.06.2022 का विचार विमर्श उपरांत शासी निकाय द्वारा अनुमोदन किया गया।

विचारणीय बिन्दु संख्या 3.9

सनदी लेखाकार (सीए) द्वारा वर्ष 2021–22 के लेखों के संधारण हेतु राशि रूपये 4.50 लाख कार्यादेश का अनुमोदन।

सनदी लेखाकार (सीए) द्वारा वर्ष 2021–22 के लेखों के संधारण हेतु सी. ए. फर्म मैसर्स ए. आर. भंसाली एण्ड कम्पनी जयपुर को दिये गये राशि रूपये 4.50 लाख के कार्यादेश दिनांक 17.12.2021 का विचार विमर्श उपरांत शासी निकाय द्वारा अनुमोदन किया गया।

विचारणीय बिन्दु संख्या 3.10

सिविल इंजीनियरिंग में सेवानिवृत सहायक अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता को सामाजिक अंकेक्षण में विशेष जांच हेतु SSAAT में संविदा पर रखे जाने का अनुमोदन।

सिविल इंजीनियरिंग में सेवानिवृत सहायक अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता को सोसायटी में प्राप्त होने वाली शिकायतों की विशेष जांच हेतु संविदा पर रखे जाने का विचार विमर्श उपरांत शासी निकाय द्वारा अनुमोदन किया गया। इस संबंध में दिशा निर्देश तैयार कर कार्यकारी समिति से अनुमोदित करवाये जायेंगे।

विचारणीय बिन्दु संख्या 3.11

चयन समिति की अभिशंषा पर 15 जिलों में लोकपाल के चयन एवं नियुक्ति का अनुमोदन तथा शेष 18 जिलों के लोकपाल चयन की प्रगति का अवलोकन

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि नरेगा योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धित जन अभाव अभियोग निराकरण के लिए लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी गाईड लाईन में किया गया है। उक्त जारी गाईड लाईन के तहत चयन समिति की अभिशंषा पर 15 जिलों में लोकपाल के चयन एवं नियुक्ति पर विचार विमर्श उपरांत शासी निकाय द्वारा अनुमोदन किया गया तथा शेष 18 जिलों के लोकपाल चयन की प्रगति पर जानकारी प्राप्त कर नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। शासी निकाय द्वारा 15 जिलों में लोकपाल के कार्यकरण व प्रगति बाबत चर्चा कर निर्देशित किया गया कि इस संबंध में उचित आई.ई.सी. करवायें ताकि व्यवस्था से आमजन परिचित हो और आवश्यकता होने पर लाभ ले सके।

विचारणीय बिन्दु संख्या 3.12

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एवं 15वां वित्त आयोग योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण करवाये जाने का अनुमोदन

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एवं 15वां वित्त आयोग योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण करवाये जाने का शासी निकाय द्वारा विचार विमर्श उपरांत अनुमोदन किया गया।

अन्य बिन्दु:–3.13

बैठक में प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा ग्राम पंचायतों के लेखों के संधारण को अधिक बेहतर किये जाने पर अपनी राय दी। आयुक्त मनरेगा द्वारा मनरेगा एक्ट के तहत सामाजिक अंकेक्षण करवाया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण बतलाया। निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अति. निदेशक द्वारा भी सामाजिक योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने की सहमति जतायी।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव, ग्रा.वि.वि. एवं
पदेन सदस्य सचिव, शासी निकाय (G.B.)
सामाजिक लेखा परीक्षा,जवाबदेही एवं
पारदर्शिता सोसायटी(SSAAT)

क्रमांकः एफ 61(2) SSAAT /GB Meeting/2019/ 10187-202 जयपुर,, दिनांक 15/11/22

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव .महोदया, सह-अध्यक्षा शासी निकाय सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) राजस्थान।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं.रा. विभाग एवं सह–उपाध्यक्ष, शासी निकाय सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.वि. एवं सह-सदस्य सचिव, शासी निकाय, SSAAT राजस्थान , जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
9. निजी सचिव, आयुक्त मनरेगा।
10. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
11 निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, (SSAAT) जयपुर।
12 उपनिदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, (SSAAT) जयपुर।
13 लेखाधिकारी, (प्रशासन एवं सामाजिक अंकेक्षण) SSAAT
14 सहायक लेखाधिकारी – प्रथम/द्वितीय (समस्त), प्रोगामर, SSAAT
15 रक्षित पत्रावली।

(संदीप चौहान)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं
पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)